न्यायालय जिला न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

प्रोवेट स्वत्व वाद संख्या 17/2017

30.01.2023 वादी एवं पीतवादी संख्या 2 की हाजिरी है। वाद पुकारा गया। बार-बार पुकार पर भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से इस वाद में एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि वह अधिकरतम ड्यूटी मनी 30 हजार रूपये जमा करने को तैयार है। वादी के उक्त आवेदन पर दिनांक 03.08.2018 को उसे 30 हजार रूपये अधिकरतम ड्यूटी मनी दाखिल करने का आदेश हुआ। उक्त आदेश के बाद चार वर्ष से भी अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी है। किन्तु वादी की ओर से ड्यूटी मनी जमा करना तो दूर, इसे जमा करने हेतु कोई बहाना भी वाद में दाखिल नहीं किया गया है। बिना ड्यूटी मनी के वाद को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा गया है। वादी की ओर से आज भी न तो ड्यूटी मनी दिया गया, न ही इसके लिए कोई समय का आवेदन दिया गया। बिना ड्यूटी मनी के वाद को जारी रखना विधिसम्मत नहीं प्रतीत होता है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोंपरांत प्रस्तुत स्वत्व वाद के वादपत्र को निरस्त किया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

(ब्रजेश कुमार मालवीय)

जिला न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

30.01.2023